आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 38/2019–राज्य कर

शिमला–2, 12 सितम्बर, 2019

सं0 ई.एक्स.एन.–एफ(10)–43/2017.––हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 143 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 45 के उपनियम (3) के अधीन प्ररूप आईटीसी–04 में चालान के ब्यौरे देने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं जो ऐसी विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे जिसकी उक्त व्यक्तियों से जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए उक्त नियमों के नियम 45 के उपनियम (3) के अधीन प्ररूप आईटीसी–04 देने की अपेक्षा नहीं होगी:

परन्तु उक्त व्यक्ति, अप्रैल से जून, 2019 तक की तिमाही के लिए प्ररूप आईटीसी–04 की क्रम संख्या 4 में, जुलाई 2017 से मार्च, 2019 तक की अवधि में छुटपुट काम करने वाले कर्मकार को भेजे गए ऐसे माल के सम्बन्ध में सभी चालानों के ब्योरे देंगे, जो कर्मकार से वापस प्राप्त नहीं हुआ हैं या जिसका छुटपुट काम करने वाले कर्मकार के स्थान से प्रदाय नहीं किया गया है।

आदेश द्वारा,
संजय कुंडू,
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

————————

[*Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-43/2017 dated 12-09-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 38/2019-State Tax

Shimla-2, the 12th September, 2019

No. EXN-F(10)-43/2017.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to notify the registered persons required to furnish the details of challans in **FORM ITC-04** under sub-rule (3) of rule 45 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), read with section 143 of the said Act, as the class of registered persons who shall follow the special procedure such that the said persons shall not be required to furnish **FORM ITC-04** under sub-rule (3) of rule 45 of the said rules for the period July, 2017 to March, 2019:

Provided that the said persons shall furnish the details of all the challans in respect of goods dispatched to a job worker in the period July, 2017 to March, 2019 but not received from a job worker or not supplied from the place of business of the job worker as on the 31st March, 2019, in serial number 4 of **FORM ITC-04** for the quarter April-June, 2019.

By order,
SANJAY KUNDU,
Principal Secretary (E&T).